समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 04 अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु अंचल गोड्डा ग्राम– मोतिया, पटवा, गंगटा, नयावाद एवं अंचल पोड़ैयाहाट ग्राम– सोनडीहा, रेंगानियॉ, बलियाकित्ता, पेटवी, गायघाट, माली में अधिगृहित कुल रकवा– 2120.59 एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। ए0एफ0सी0 इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के संक्षिप्त विवरण को समुचित जगह पर प्रकाशित किया जा चुका है।

उपरोक्त अधिनियम के धारा– 05 अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के प्रतिवेदन हेतु लोक सुनवाई किया जाना है। दिनांक– **06.12.2016** को 11:00 बजे पूर्वाहन में निम्नलिखित स्थान/विवरण के अनुसार लोक सुनवाई निर्धारित की जाती है:–

क्र0	अंचल	संबंधित ग्राम का नाम	लोक सुनवाई हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी	लोक सुनवाई का स्थल
1	गोड्डा	मोतिया, पटवा, गंगटा, नयावाद	1. अपर समाहर्त्ता, गोड्डा। 2. अतिरिक्त जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी 3. अंचल अधिकारी, गोड्डा।	ग्राम– मोतिया (खादी ग्राम उद्योग के मैदान में)
2	पोड़ैयाहाट	सोनडीहा रेंगनिया, बलियाकित्ता, पेटवी, गायघाट, माली	1. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा। 2. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा। 3. अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट।	ग्राम– रेंगनियॉ एवं पेटवी के बीच ग्राम– बक्सरा (उच्च विद्यालय बक्सरा के समीप सरकारी मैदान में)

प्रभावित संबंधित ग्राम के अंतर्गत परियोजना से **प्रभावित होने वाले परिवारों** से अनुरोध है कि उक्त लोक सुनवाई में उपस्थित होकर सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन के संबंध में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे।

21.11.16

उपायुक्त,
गोड्डा।